कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–15/वर्ष 2017–18

1. विभाग का नाम :– मेदिनीनगर नगर निगम।
2. विज्ञापनदाता का नाम :– कार्यपालक पदाधिकारी, मेदिनीनगर नगर निगम।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :– दि0 23.10.17 को 11.00 बजे पूवाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :– दि0 24.10.17 को 4.00 बजे अपराह्न तक।
5. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दि0 30.10.17 को 11:00 बजे अपराह्न नगर निगम सभागार में।
6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– शहर थाना, मेदिनीनगर।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :– शहर थाना, मेदिनीनगर।
8. कार्य का नाम

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
	सड़क निर्माण				
1	बली ठाकुर के घर से मनोज सिंह के घर तक भाया विनोद सिंह के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण वार्ड नं0 2	532315	10700	5000	तीन माह
2	दीपक कुमार के घर से पारस राम के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण वार्ड नं0 03	141930	2900	1000	तीन माह
3	गंगा देवी के घर से शिला कुंवर के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण वार्ड नं0 03	88705	1800	1000	तीन माह
4	अम्बेडकर पार्क के नजदीक रेड़ क्रोस बिल्डिंग का निर्माण वार्ड नं0 15	999900	20000	5000	तीन माह

9. मेदिनीनगर नगर निगम में समुचित श्रेणी में निबंधित एवं झारखण्ड सरकार/भारत सरकार में निबंधित (पथ निर्माण विभाग/नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग) संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम है।
10. शर्तयुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगी। मुहरबंद लिफाफा के उपर निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
11. निविदा के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र, वाणिज्य–कर स्वच्छता प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र GSTN की अभिप्रमाणित सुस्पष्ट प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
12. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मेदिनीनगर के पदनाम से देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक डालटनगंज शाखा, में भुगतेय होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य वापस नहीं किया जाएगा।
13. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 8/6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र (8वाँ निर्गम) या पाँच/तीन वर्षीय डाकघर सावधि जमा/बैंक सावधि जमा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मेदिनीनगर के पदनाम से प्रतिज्ञित (Favour) कराकर जमा करना अनिवार्य है।
14. निर्मित योजना का पाँच वर्षों तक रख–रखाव का दायित्व चयनित संवेदक का होगा। निविदादाता स्थलीय स्थिति देख लेंगे एवं सही, संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दर अंकित करेंगे।
15. बिजली, पानी एवं कार्य में लगने वाली अन्य सामग्री की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी। प्रभारी अभियंता की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण से संबंधित सामग्री लगानी होगी।
16. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा के पूर्व 3% प्रतिशत प्रारम्भिक जमानत की राशि जमा करनी होगी। प्रत्येक भुगतान के समय 5% प्रतिशत अतिरिक्त जमानत की राशि विपत्र से काटी जाएगी, जो कार्य समाप्ति के पाँच वर्षों के उपरान्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात् ही लौटायी जाएगी।
17. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त करने की जिम्मेवारी संवेदकों की होगी एवं इस कार्य के लिए संवेदक को अलग से कोई राशि देय नहीं होगी बल्कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्राक्कलित राशि की 10% एक मुश्त जुर्माना वसुल किया जायेगा। कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में संवेदक के अन्य कार्य आवंटित किये जाने के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।
18. कार्य प्रारम्भ करते ही संवेदक को कार्य से संबंधित सूचना के सूचनापट का निर्माण अपने खर्च पर करना होगा।
19. निविदा निस्तारण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर चयनित निविदादाता को एकरारनामा कर लेना होगा, अन्यथा उनकी निविदा रद कर दी जाएगी।

20. संवेदकों का चयन नियमानुसार गठित निविदा **Tender Procurement Committee** (निविदा निस्तार समिति) द्वारा किया जाएगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।
22. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही कार्यो का भुगतान सम्भव होगा।
23. परिमाण विपत्र में दर्शायी गयी राशि 10% से कम या 10% से अधिक की निविदा दर अमान्य होगी।
24. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद का निबटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
25. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।
26. संवेदक को विपत्र के भुगतान के समय मेटेरियल गुणवता प्रमाण विपत्र पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
27. झारखण्ड फाइनेंसीयल मैनुवल एवं PWD कोड में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
28. योजना निर्माण के पूर्व तथा निर्माण के विपत्र के साथ फोटोग्राफ लगाना अनिवार्य होगा।

sd/-
कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/[redacted] को सूचनार्थ समर्पित।

sd/-
कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू /आरक्षी अधीक्षक, पलामू/ उप विकास आयुक्त, पलामू/ उप सचिव नगर विकास विभाग झारखण्ड राँची/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर/सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, पलामू/जिला अभियन्ता जिला परिषद पलामू एवं निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ समर्पित।

sd/-
कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम

ज्ञापांक 3243 दिनांक 10/10/2017

प्रतिलिपि :– नगर निगम कार्यालय सूचना पट पर साट कर सूचनार्थ/**Website http//:udhd.gov.in** पर अवलोकन किया जा सकता है। /जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मेदिनीनगर को विज्ञापन के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
मेदिनीनगर नगर निगम